संलग्नक : 21

संख्या – 1350 /60–1–2016

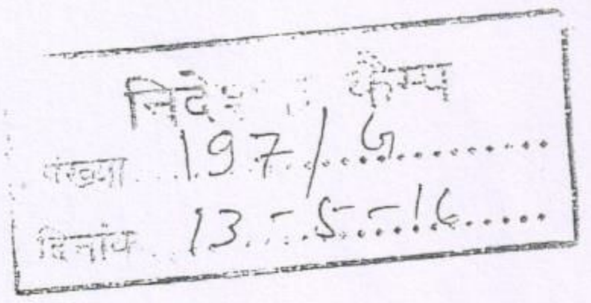

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश ।

निदेशक ... संख्या 1971/6 ... दिनांक 13.5.16

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 दिनांकः लखनऊः 13 मई 2016

विषय राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में निरूद्ध संवासियों के शिक्षा के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उक्त विषयक आपके पत्र सं0–146/निदे0म0क0/प्रोबे0/2016–14, दिनांक 06.05.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में मा0 न्यायालयों/किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों से विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निरूद्ध किया जाता है। इन बच्चों में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी शिक्षा को निरन्तर जारी रखना चाहते हैं किन्तु इन बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से गृह के बाहर नही भेजा जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में इनकी शिक्षा बाधित होने की सम्भावना बनी रहती है ।

2– उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम– 2015 द्वारा समाज में निवासरत ऐसे सभी बच्चों के बेहतर विकास पर बल दिया गया है । अतः राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में आवासित ऐसे बच्चे जो अपनी शिक्षा निरन्तर जारी रखना चाहते हैं को आगे बढ़ने का अवसर दिए जाने हेतु उनकी शिक्षा ''इग्नू'' (इन्दिरा गॉधी ओपेन यूनिवर्सिटी), नेशनल ओपेन स्कूल आदि से कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने हेतु बच्चों को विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा और आवासीय संस्थाओं में रहते हुए वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगें जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए सहायक होगी ।

भवदीय,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/60–1–16 तद्दिनाक।

प्रतिलिपि समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाए।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद),
संयुक्त सचिव।

CPO
13/5/16
DyCPO
16-05-16
290(1) CPO
76/DyCPO
16/5/16
AO(P)
16/5/16
18-5-16
58/P